राजस्थान सरकार
आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan

International Year of Cooperatives
Cooperatives Build a Better World

क्रमांकः–F23(46) accts./cce/scholarship/vividh/2023-24-09276 दिनांकः– यथा ई–हस्ताक्षर

प्राचार्य/जिला नोडल अधिकारी
मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृति योजना एवं जनजाति/सहरिया आर्थिक सहायता योजनाएं
राजस्थान।

विषयः– मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृति योजना एवं जनजाति/सहरिया आर्थिक सहायता योजनाएं वर्ष 2025–26 के स्वीकृत एवं भुगतान हेतु बनाये गये बिलों की सूचना स्प्रेडशीट में भरने के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि माह मई, 2026 के द्वितीय सप्ताह में मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृति योजना एवं जनजाति/सहरिया आर्थिक सहायता योजनाएं वर्ष 2025–26 के पात्र छात्र–छात्राओं को डीबीटी के माध्यम से लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृति योजना एवं जनजाति/सहरिया आर्थिक सहायता योजनाएं वर्ष 2025–26 के लम्बित आवेदन पत्रों की नियमानुसार जांचकार्य पूर्ण करते हुए स्वीकृति आदेश जारी कर बिल बनाते हुए कोषालय को दिनांक 08.05.2026 तक भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। साथ ही आपके कार्यालय से कोषालय को प्रेषित बिल जो कि वर्तमान समय में **ECS** नहीं होने के कारण लम्बित है उनको कोषालय में व्यक्तिगत समन्वय कर भविष्य में होने वाली डीबीटी में ही सम्मिलित रखा जाना है इस संबंध में वित्त (कोष एवं लेखा) विभाग के परिपत्र क्रमांक 7772 दिनांक 31.3.2026 संलग्न के अनुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। आपको स्प्रेडशीट **CM and ST/SAHRIYA SCHOLARSHIP DBT 2025-26** प्रेषित की गयी है जिसमें प्रतिदिन सूचना अद्यतन करना सुनिश्चित करें, ताकि डीबीटी का कार्यक्रम सफलता पूर्णक संपादित किया जा सकें।
संलग्न–उपरोक्तानुसार।

(डॉ. दिलीप कुमार गोयल)
संयुक्त निदेशक, छात्रवृति

क्रमांकः–F23(46) accts./cce/scholarship/vividh/2023-24-09276 दिनांकः– यथा ई–हस्ताक्षर
प्रतिलिपि–निम्न को आवश्यक सूचनार्थ एवं कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. निजी सचिव, आयुक्त महोदय, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।

संयुक्त निदेशक, छात्रवृति

Signature valid
Digitally signed by Dilip Kumar Goyal
Designation : Joint Director
Date: 2026.05.05 16:08:30 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 21992963

राजस्थान सरकार
वित्त (कोष एवं लेखा) विभाग

क्रमांकः एफ.5(थ–75)कोष/IFMS/WAM-20/ 7772   दिनांक 31/3/2026

समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष/ आहरण वितरण अधिकारी/पी.डी. खाता धारक

विषयः– **आई.एफ.एम.एस.के अन्तर्गत पूल बजट से वित्तीय वर्ष 2025–26 के लंबित बिलों वित्तीय वर्ष 2026–27 के भुगतान की प्रक्रिया के कम में।**

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 के दिनांक 31.03.2026 को विभिन्न स्तरों पर लंबित रहे बिलों के संबंध में वित्तीय वर्ष 2026–27 में निम्नानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित हैः–

1. भारत सरकार के Ministry of Finance, Department of Expenditure (GIFMIS-PFMS) के ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 13.03.2026 के अनुसार SNA-SPARSH से संबंधित भारत सरकार, राज्य सरकार के स्तर पर प्रोसेस होने से वंचित रहे गये सभी प्रकार के Claims जिनका Disbursement दिनांक 31.03.2026 को 24.00 hours तक नहीं हुआ है, Permanent cancel हो जायेगे। इन हेतु ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 13.03.2026 के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
2. कार्मिकों/पेंशनर्स से संबंधित जी.पी.ओ.,सी.पी.ओ., एस.आई.पी.एफ. क्लेम, एस.आई.पी.एफ. लोन व आहरण (Withdrawl) एवं सेवानिवृति पर देय लीव एन्केशमेंट बिलों को टोकन दिनांक की प्राथमिकता के आधार पर नये वित्तीय वर्ष 2026–27 में पुनः प्रेषण के साथ आईएफएमएस पर उपलब्ध करवाया जावेगा। संबंधित विभाग/कार्यालयाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगें कि इन दावों के नवीन बिल वर्ष 2026–27 में नहीं बनाये जाएँ।
3. निर्माण विभागों/खण्डों के वित्तीय वर्ष 2025–26 में कोषालयों द्वारा पारित होने के उपरान्त भुगतान से शेष रह गये बिलों/टोकन के उपरान्त पारित नहीं किए गए बिलों को टोकन दिनांक की प्राथमिकता के आधार पर ही नये वित्तीय वर्ष 2026–27 में पुनः प्रेषण के साथ आईएफएमएस पर उपलब्ध करवाया जावेगा।
4. अन्य समस्त श्रेणियों के कोषालयों से टोकन अथवा पारित होने के पश्चात् भुगतान से शेष रहे बिलों को टोकन दिनांक की प्राथमिकता के आधार पर आहरण वितरण अधिकारियों/पी. डी. खाताधारकों को पुनः प्रेषण हेतु उपलब्ध करवाया जाएगा। इस प्रक्रिया में एफवीसी बिलों के साथ सिस्टम में स्वीकृति संख्या एवं दिनांक का नियंत्रण स्थापित है। आहरण वितरण अधिकारियों से यह अपेक्षित होगा कि वे भुगतान से शेष रहे इनवाईस नम्बर, स्वीकृति संख्या एवं दिनांक के विरूद्ध नवीन/परिवर्तित इनवाईस नम्बर, स्वीकृति संख्या, दिनांक से बिल नहीं बनावें अन्यथा दोहरे भुगतान/अनियमित भुगतान के लिए उनका दायित्व निर्धारित किया जायेगा।

5. समस्त विभागाध्यक्षों व विभागों में पदस्थापित वित्तीय सलाहकारों (वरिष्ठतम लेखाधिकारियों) से यह अपेक्षित होगा कि उनके अधीनस्थ आहरण बिल अधिकारी/ पीडी खाताधारक/निर्माण खण्ड गत वित्तीय वर्ष 2025–26 के बिल पुनः प्रेषण करते समय नवीन बजट मदों का ही उपयोग किया जाए तथा **भुगतान का दोहराव किसी भी परिस्थिति में न हो।**
6. कोष प्रणाली में वित्तीय वर्ष 2025–26 के Cancel किए गए टोकन से लौटाये गए बिलों की कोषवार–डीडीओ कोड के अनुसार सूचना उपलब्ध रहेगी जिसे राजकोष के Home page पर देखा जा सकता है।

30/03/26

(राजन विशाल)
शासन सचिव वित्त (बजट)

क्रमांकः एफ.5(थ–75)कोष/IFMS/WAM-20/ 7772 दिनांक 31/3/2026

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. **समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिव, विशिष्ट शासन सचिवगण संबंधित विभाग को प्रषित कर अनुरोध है कि कृपया उक्तानुसार कार्यवाही बाबत् अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देशित करावें।**
2. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निदेशक, वित्त (बजट) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी विधि विभाग, जयपुर।
5. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, जयपुर।
6. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (मार्गोपाय)/(वित्तीय नियम) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
7. वित्तीय सलाहकार, समस्त विभाग। कृपया अपने विभाग के कार्यालयाध्यक्ष /आहरण वितरण अधिकारी से परिपत्र की पालना हेतु समुचित पर्यवेक्षण करावें।
8. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी., शासन सचिवालय, जयपुर।
9. वरिष्ठ निदेशक(आई.टी.), एन.आई.सी., वित्त भवन, जयपुर को सिस्टम में आवश्यक प्रावधान सुनिश्चित किए जाने बाबत।
10. कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी, समस्त।
11. संयुक्त निदेशक (कम्प्यूटर) वित्त विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को वित्त विभाग की साईट पर अपलोड करने हेतु।

30/3/2026

निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव(कोष एवं लेखा)